

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जाखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र / वन संरक्षण अधिनियम 1980 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। परियोजना के निर्माण के दौरान वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०पि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०पि०
रुद्रप्रयाग

अधिकारी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०पि०
रुद्रप्रयाग

वन देशाधिकारी
दक्षिणी जनवाली रेज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

उच्च प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग